राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 2140/2010/उदयपुर
2.अपील संख्या 709/2011/उदयपुर
3.अपील संख्या 764/2012/उदयपुर
4..अपील संख्या 451/2012/उदयपुर
5.अपील संख्या 923/2013/उदयपुर
6.अपील संख्या 1874/2013/उदयपुर
7.अपील संख्या 1955/2013/उदयपुर
8.अपील संख्या 398/2014/उदयपुर
9.अपील संख्या 834/2014/उदयपुर
10.अपील संख्या 309/2015/उदयपुर
11.अपील संख्या 310/2015/उदयपुर

1.मैसर्स अरिहन्त मिनरल्स, उदयपुपर
2.मैसर्स अरिहन्त मिनल्स प्रा.लि.उदयपुर ....अपीलार्थीगण

बनाम

1.वाणिज्यिक कर अधिकारी,उदयपुर
2.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–प्रथम,वृत–बी,उदयपुर
3.वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, उदयपुर ....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित::

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक –01.03.2017

निर्णय

उपरोक्त ग्यारह अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विद्वान उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, उदयपुर एवं अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 173/वैट/09–10, अपील संख्या 22/वैट/10–11,अपील संख्या 352/वैट/10–11/,अपील संख्या 283/वैट/ 10–11,अपील संख्या 02/वैअ/12–13, 149/वैट/12–13, अपील संख्या 81/वैट/12–13, अपील संख्या 23/वैअ/13–14, अपील संख्या 59/वैट/13–14, अपील संख्या 26/वैट/14–15 एवं 28/वैट/14–15/उययपुर में पारित पृथक– पृथक आदेश दिनांक 22.07.2010, 21.02.2010, 23.12.2011, 19.09.2011,20.03.2013, 22.07.2013, 30.09.2013, 27.01. 2014, 03.04.2014, एवं 10.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई है, जिनमें उन्होंने, वाणिज्यिक कर अधिकारी, उदयपुर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत–बी, उदयपुर एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, उदयपुर (जिन्हें आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23, 24 एवं 55 के अन्तर्गत वर्ष 07–08, 08–09, 09–10, 10–11 एवं 11–12 के कर निर्धारण आदेश पृथक–पृथक दिनांक 27.10.2009, 03.03.2010, 25,02,2011, 14.10.2011, 17.01.2012, 23.08.2013,

कन्ज्यूमेबल आईटम्स हैं, जो उत्खनन की प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें प्लांट एवं मशीनरी की श्रेणी में मानते हुए भी अधिनियम की धारा 18 के तहत इन पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी के आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने का अनुरोध किया।म की धारा 18 एवं नियम 18 के अन्तर्गत खनन पर आई टी सी देय नहीं है। उन्होंने अपने उक्त कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या –1577/2009 व 295/2010/बूंदी मैसर्स यूनिर्सल ओवरसीज एण्ड स्टोन कम्पनी,बुधपुरा, कोटा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशेष वृत, कोटा निर्णय दिनांक 14.12.2015, अपील संख्या 13/2008/वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, उदयपुर बनाम मैसर्स अरिहन्त टाईल्स एण्ड मार्बल्स प्रा.लि., अम्बेरी, उदयपुर निर्णय दिनांक 07.08.2010 एवं अपील संख्या 2131/2011 मैसर्स मंगलम मार्बल्स प्रा.लि.चित्तौडगढ बनाम उपायुक्त(अपील्स),वाणिज्यिक कर,उदयपुर एवं 2132/2011/चित्तौडगढ मैसर्स फोरमोस्ट मार्बल्स प्रा.लि.चित्तौडगढ बनाम उपायुक्त(अपील्स),वाणिज्यिक कर,उदयपुर में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 11.01.2013 को उद्धरित किये । उनका है कि उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

विभागीय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाथियों द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान खानों से पत्थर निकालने हेतु कन्ज्यूमेबल आईटम्स (एक्स्प्लोजिव) का वेट चुकाकर क्रय किया गया है एवं उक्त माल का खनन प्रक्रिया में उपयोग किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने विवादित आईटम पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों के द्वारा व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आगत कर को अस्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 18(1) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा :–

18. Input Tax Credit. –

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub–section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of –

(a) sale within the State of Rajasthan; or

(b) sale in the course of inter–State trade and commerce; or

(c) sale in the course of export outside the territory of India; or

(d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or

(e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter–State trade or commerce; or

(f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or

(g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub–section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub–section.

अधिनियम की धारा 18(1) के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी द्वारा कर चुकाकर कच्चे माल के रूप में क्रय किये गये माल का विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नवीन वस्तु का निर्माण कर, कर योग्य माल के रूप में विक्रय किये जाने की स्थिति में ही चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय किया गया है। उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि खनन प्रक्रिया में प्रयुक्त कन्ज्यूमेबल आईटम्स पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में केपीटल गुड्स की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(7) स्पष्ट है :–

2(7) - **"capital goods"** means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;

Explanation-For removal of doubts, it is hreby clarified that "capital goods" do not include any equipments or appliances used in an office of a dealer or used in execution of works contract.

हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा क्रय किये गये विवादित माल का कर योग्य माल के रूप में पुनर्विक्रय किया जाना भी नहीं पाया जाता है तथा माल केपीटल गुड्स की श्रेणी में नहीं आना पाया जाता है। प्रकरण की उपरोक्त परिस्थिति एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

अपील संख्या 2131/2011 मैसर्स मंगलम मार्बल्स प्रा.लि.चित्तौडगढ बनाम उपायुक्त(अपील्स),वाणिज्यिक कर,उदयपुर एवं 2132/2011/चित्तौडगढ मैसर्स फोरमोस्ट मार्बल्स प्रा.लि.चित्तौडगढ बनाम उपायुक्त(अपील्स),वाणिज्यिक कर,उदयपुर में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 11.01.2013 में कन्ज्यूमेबल आईटम्स को प्लान्ट एवं मशीनरी नहीं मानते हुए आई टी सी अस्वीकार की गई है।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में इसी प्रकार का मत प्रतिपादित किया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का समावेश करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

फलतः अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत की गई उपरोक्त सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य